NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 13-02-2026

विषय सूची

कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा

समकालिक चुनाव संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन नहीं

'सास्पोकैलिप्स(सास्पोकैलिप्स)' की आशंकाओं के बीच भारतीय आईटी क्षेत्र एक निर्णायक मोड़ पर

भारत में SHANTI अधिनियम और परमाणु दायित्व पर परिचर्चा

संक्षिप्त समाचार

महार्षि दयानंद सरस्वती

असम राइफल्स: आत्मनिर्भर पहल के अंतर्गत स्वदेशी कुत्तों की नस्लों का समावेश

संसद की कार्यवाहियाँ

क्यासानूर वन रोग

औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026

आर्कटिक में ब्लैक कार्बन का जलवायु खतरा

राजाजी राष्ट्रीय उद्यान

विश्व रेडियो दिवस

कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा

संदर्भ

- सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि वह यौन उत्पीड़न अधिनियम (SH Act) के प्रभावी प्रवर्तन और प्रत्येक महिला को उत्पीड़न-मुक्त कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिबंध और निवारण) अधिनियम, 2013

- **उद्देश्य:** महिलाओं को सुरक्षित और संरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करना।
- **यौन उत्पीड़न की परिभाषा:** इसमें शारीरिक संपर्क, यौन अनुग्रह की मांग, यौन प्रकृति की टिप्पणियाँ करना, अश्लील सामग्री दिखाना, तथा कोई भी अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण शामिल है।
- **प्रभाव क्षेत्र:** यह अधिनियम भारत के सभी कार्यस्थलों पर लागू होता है—निजी क्षेत्र, सरकारी कार्यालय, गैर-सरकारी संगठन (NGO), शैक्षणिक संस्थान तथा असंगठित क्षेत्र।
- **कर्मचारी:** सभी महिला कर्मचारी, चाहे वे नियमित, अस्थायी, संविदा, आकस्मिक, दैनिक वेतन, प्रशिक्षु या इंटर्न हों, अथवा प्रधान नियोक्ता की जानकारी के बिना कार्यरत हों—वे कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध निवारण की मांग कर सकती हैं।
- **आंतरिक शिकायत समिति (ICC):** प्रत्येक कार्यालय या शाखा जहाँ 10 या अधिक कर्मचारी हों, वहाँ नियोक्ता को ICC गठित करना अनिवार्य है।
  - इसकी अध्यक्षता एक महिला करेगी।
  - इसमें कम से कम दो महिला कर्मचारी, एक अन्य कर्मचारी तथा एक बाहरी सदस्य (जैसे NGO कार्यकर्ता, जिसके पास पाँच वर्ष का अनुभव हो) शामिल होंगे।
- **स्थानीय समिति (LC):** प्रत्येक ज़िले में LC का गठन अनिवार्य है, ताकि 10 से कम कर्मचारियों वाले संस्थानों में कार्यरत महिलाओं की शिकायतें दर्ज की जा सकें।
- **शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया:** महिला तीन से छह माह के अंदर लिखित शिकायत दर्ज कर सकती है।
- **समिति दो तरीकों से मामले का निपटारा कर सकती है:**
  - शिकायतकर्ता और प्रतिवादी के बीच सुलह (जो वित्तीय समझौता नहीं हो सकता)।
  - समिति द्वारा जाँच कर उपयुक्त कार्रवाई करना।
- **समयबद्ध जाँच और कार्रवाई:** शिकायतों का निपटारा 90 दिनों के अंदर होना चाहिए।
- **वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट:** नियोक्ता को वर्ष के अंत में ज़िला अधिकारी को यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों और की गई कार्रवाइयों की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है।
- **दंड:** अनुपालन न करने पर ₹50,000 तक का जुर्माना और बार-बार उल्लंघन पर व्यापार लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

अधिनियम को सुदृढ़ करने हेतु सरकारी पहल

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MoWCD) इस अधिनियम का नोडल मंत्रालय है।
  - यह केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी संस्थाओं को परामर्श जारी करता है तथा प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- **SHe-Box पोर्टल:** MoWCD ने 2024 में यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स (SHe-Box) लॉन्च किया।
  - यह एक केंद्रीय भंडार बनाकर अधिनियम के क्रियान्वयन की निगरानी को सुदृढ़ करता है।

कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा की आवश्यकता

- **संवैधानिक प्रावधान:** अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत महिलाओं को सुरक्षित वातावरण का मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय (जैसे ऑरेलियानो फर्नांडीस मामला) ने POSH प्रवर्तन में कमी को संवैधानिक उल्लंघन माना है।
- **आर्थिक लक्ष्य (विकसित भारत 2047):** भारत का लक्ष्य महिला श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) को 70% तक पहुँचाना है। सुरक्षा चिंताओं को महिलाओं के मध्य-वरिष्ठ पदों से बाहर निकलने या उच्च वेतन वाली रात्रि पाली से बचने का प्रमुख कारण बताया गया है।
- **"उत्पीड़न कर" का समाधान:** 2026 के हालिया अध्ययनों से पता चलता है कि महिलाएँ सुरक्षित कार्यस्थल के लिए अपनी संभावित आय का लगभग 19% छोड़ने को तैयार हैं, जो एक बड़ी आर्थिक हानि है।
- **प्रतिभा बनाए रखना:** तकनीकी क्षेत्र (2025-26) में रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि पक्षपातपूर्ण निवारण तंत्र महिलाओं के कार्यबल छोड़ने का प्रमुख कारण है।

चुनौतियाँ

- **असंगठित क्षेत्र का अंतर :** भारत की 90% महिला कार्यबल असंगठित क्षेत्र (घरेलू कामगार, कृषि) में है। यद्यपि ज़िला स्तर पर LC विद्यमान हैं, सर्वेक्षण बताते हैं कि 70% से अधिक घरेलू कामगार इनके बारे में अनभिज्ञ हैं।
- **विश्वास की कमी:** NARI 2025 रिपोर्ट के अनुसार केवल 3 में से 1 पीड़िता औपचारिक शिकायत दर्ज करती है। 75% महिलाएँ कानूनी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर विश्वास नहीं करतीं।
- **डिजिटल विभाजन:** SHe-Box जैसे पोर्टल "लैपटॉप वर्ग" के लिए प्रभावी हैं, परंतु ग्रामीण महिलाओं के लिए डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण अनुपलब्ध हैं।
- **प्रक्रियागत दुरुपयोग:** 2026 तक कई ICC पर आरोप है कि वे मामलों को "अनौपचारिक तरीके" से निपटाते हैं—पीड़िताओं पर "आपसी सुलह" का दबाव डालते हैं (जो अवैध है यदि इसमें धन शामिल हो) ताकि कंपनी की प्रतिष्ठा बची रहे।
- **"प्रतिशोध" की चुनौती:** शिकायत दर्ज करने के बाद सामाजिक बहिष्कार या पेशेवर हानि जैसी द्वितीयक उत्पीड़न की घटनाएँ सबसे कठिन सिद्ध होती हैं।

आगे का मार्ग

- **लैंगिक-तटस्थ विस्तार:** विधि विशेषज्ञ POSH को लैंगिक-तटस्थ बनाने की मांग कर रहे हैं ताकि सभी कर्मचारियों की सुरक्षा हो सके, यद्यपि महिलाएँ प्राथमिक लक्ष्य बनी रहती हैं।
- **अनुपालन को प्रोत्साहन:** "सेफ सिटी" परियोजना निधियों को प्रत्येक ज़िले में कार्यशील स्थानीय समितियों की उपस्थिति से जोड़ना।
- **हाइब्रिड कार्य सुरक्षा:** POSH को "डिजिटल कार्यस्थलों" (स्लैक, ज़ूम, व्हाट्सएप) को स्पष्ट रूप से शामिल करने के लिए अद्यतन करना, क्योंकि 2026 में कार्यस्थल मानदंड बड़े पैमाने पर दूरस्थ सहयोग की ओर बढ़ चुके हैं।

स्रोत: PIB

समकालिक चुनाव संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन नहीं

संदर्भ

- भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने कहा कि समकालिक चुनाव संविधान की मूल संरचना अथवा उसके संघीय ढाँचे का उल्लंघन नहीं करते हैं।

परिचय

- उन्होंने यह बात संसद की संयुक्त समिति के समक्ष कही, जो संविधान (एक सौ उनतीसवाँ संशोधन) विधेयक, 2024 की समीक्षा कर रही है।
- **पूर्व मुख्य न्यायाधीश का तर्क:**
  - यह विधेयक "केवल एक बार चुनाव कराने की पद्धति में परिवर्तन" करता है, जिससे मूल संरचना सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होता।
  - चुनाव की संरचना और मतदाता अधिकार यथावत बने रहते हैं, अतः यह संशोधन संवैधानिक होगा।
  - उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि इस प्रकार का कानून बनाना संसद की विधायी क्षमता के अंतर्गत पूर्णतः आता है।

पृष्ठभूमि

- संविधान (एक सौ उनतीसवाँ संशोधन) विधेयक, 2024 तथा संघ शासित प्रदेश विधि (संशोधन) विधेयक, जिन्हें 'वन नेशन वन इलेक्शन' विधेयक के रूप में जाना जाता है, वर्ष 2024 में विधि मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए।
- इन विधेयकों में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनावों को समकालिक बनाने का प्रावधान है, जिसके लिए किसी विशेष लोकसभा के बाद निर्वाचित राज्य विधानसभाओं की अवधि को उसी लोकसभा के कार्यकाल के साथ समाप्त करने हेतु सीमित किया जाएगा।
  - जब विधानमंडलों के कार्यकाल समन्वित हो जाएंगे, तब आगामी आम चुनाव एक साथ आयोजित किया जाएगा।
- इन विधेयकों को इस उद्देश्य से संयुक्त संसदीय समिति को संदर्भित किया गया कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे संविधान की मूल संरचना को प्रभावित न करें।

मूल संरचना सिद्धांत

- **स्रोत:** केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य प्रकरण।
- यह सिद्धांत भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विकसित एक न्यायिक सिद्धांत है, जिसके अनुसार संसद को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन करने की व्यापक शक्ति है, परंतु वह इसकी "मूल संरचना" को परिवर्तित या नष्ट नहीं कर सकती।
- समय-समय पर विभिन्न निर्णयों के माध्यम से निम्नलिखित तत्वों को मूल संरचना का अंग माना गया है:
  - संविधान की सर्वोच्चता, विधि का शासन, न्यायिक पुनरावलोकन, शक्तियों का पृथक्करण, संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, संसदीय प्रणाली, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भारत की एकता एवं अखंडता, तथा मौलिक अधिकारों एवं राज्य के नीति-निदेशक तत्वों के बीच संतुलन।

समकालिक चुनाव क्या हैं?

- समकालिक चुनाव (वन नेशन वन इलेक्शन) से आशय लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ आयोजित करने की अवधारणा से है, जिसका उद्देश्य चुनावों की आवृत्ति तथा उनसे जुड़े व्ययों को कम करना है।
- भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए समकालिक चुनाव वर्ष 1951-52, 1957, 1962 एवं 1967 में आयोजित किए गए थे।

- इसके पश्चात् यह समय-सारिणी बनाए नहीं रखी जा सकी और लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव अब तक पुनः समन्वित नहीं हो पाए हैं।

वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में तर्क

- **व्यय में कमी:** प्रत्येक वर्ष अलग-अलग चुनाव कराने में होने वाले भारी व्यय में कमी आएगी।
- **प्रक्रिया का सरलीकरण:** एक चुनाव चक्र का प्रबंधन, विभिन्न समयों पर अनेक चुनाव कराने की तुलना में अधिक सुव्यवस्थित एवं प्रशासनिक रूप से दक्ष होगा।
- लगातार चुनावों के कारण आचार संहिता लंबे समय तक लागू रहती है, जिससे सामान्य शासन-प्रक्रिया प्रभावित होती है। समकालिक चुनाव इस समस्या का समाधान कर सकते हैं।
- शासन पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जा सकेगा, बजाय इसके कि सरकार निरंतर चुनावी मोड में रहे।
- **प्रत्यक्ष जवाबदेही:** समकालिक चुनावों के माध्यम से मतदाता केंद्र एवं राज्य सरकारों के कार्यों के प्रति एक साथ जवाबदेही सुनिश्चित कर सकते हैं, जिससे यह स्पष्ट होगा कि स्थानीय एवं राष्ट्रीय नीतियाँ उनके जीवन को किस प्रकार प्रभावित करती हैं।
- **सहकारी संघवाद को सुदृढ़ता:** समन्वित चुनावी कैलेंडर संघ और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय को प्रोत्साहित करेगा, नीति-स्थिरता सुनिश्चित करेगा तथा निरंतर चुनावी अभियानों से उत्पन्न राजनीतिक तनाव को कम करेगा।

वन नेशन वन इलेक्शन के विरुद्ध तर्क

- **लॉजिस्टिक चुनौतियाँ:** सभी राज्यों तथा केंद्र सरकार के समक्ष समय-सारिणी, संसाधनों आदि के समन्वय सहित व्यापक प्रशासनिक चुनौतियाँ होंगी।
- **स्थानीय प्राथमिकताएँ:** इससे राष्ट्रीय दलों को लाभ हो सकता है, जबकि क्षेत्रीय दलों एवं स्थानीय मुद्दों की उपेक्षा की आशंका रहेगी।
- **जटिल संवैधानिक सुधार:** समकालिक चुनाव लागू करने के लिए व्यापक संवैधानिक संशोधनों तथा निर्वाचन कानूनों में परिवर्तन की आवश्यकता होगी, जिससे विधिक जटिलताएँ उत्पन्न होंगी।
- **संघवाद एवं राज्य स्वायत्तता:** कार्यकालों का समन्वय राज्य विधानसभाओं की अवधि को घटाने या बढ़ाने का कारण बन सकता है, जिससे राज्यों की संवैधानिक स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है।

आगे की दिशा

- सरकार के तीनों स्तरों पर समन्वित चुनाव शासन संरचना को सुदृढ़ करेंगे। इससे "पारदर्शिता, समावेशन, सुगमता तथा मतदाताओं का विश्वास" बढ़ेगा।
- विधि आयोग द्वारा वर्ष 2029 से लोकसभा, राज्य विधानसभाओं तथा स्थानीय निकायों—जैसे नगरपालिकाएँ एवं पंचायतें—के लिए समकालिक चुनाव कराने की अनुशंसा किए जाने की संभावना है।

स्रोत: TH

'सास्पोकैलिप्स(सास्पोकैलिप्स)' की आशंकाओं के बीच भारतीय आईटी क्षेत्र एक निर्णायक मोड़ पर

संदर्भ

- हाल ही में 'सास्पोकैलिप्स' आशंकाओं से उत्पन्न शेयर बाज़ार की अस्थिरता ने भारत के पारंपरिक आईटी सेवाओं मॉडल पर एआई-जनित व्यवधान को लेकर निवेशकों की चिंता को दर्शाया है।

भारत में आईटी क्षेत्र का महत्व

- आईटी और आईटी-सक्षम सेवाएँ (ITeS) भारत के आर्थिक परिवर्तन का स्तंभ रही हैं। यह भारत के GDP में लगभग 7–8% का योगदान करती हैं, 50 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देती हैं और लाखों को अप्रत्यक्ष रूप से सहारा प्रदान करती हैं।
- यह सेवाओं के निर्यात और विदेशी मुद्रा अर्जन का प्रमुख स्रोत है, जिससे भारत की वैश्विक डिजिटल सेवाओं केंद्र के रूप में स्थिति सुदृढ़ होती है।
- टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इंफोसिस और विप्रो जैसी कंपनियों ने बड़े पैमाने पर आउटसोर्सिंग, लागत लाभ और श्रम-प्रधान सेवा वितरण पर आधारित व्यापार मॉडल विकसित किए हैं।

'सास्पोकैलिप्स' क्या है?

- "सास्पोकैलिप्स" शब्द का अर्थ है यह आशंका कि एआई-संचालित उपकरण पारंपरिक सॉफ्टवेयर-एज़-ए-

सर्विस (SaaS) प्लेटफ़ॉर्म और आईटी सेवा मॉडलों को बाधित कर सकते हैं या प्रतिस्थापित कर सकते हैं।

- हाल ही में एंथ्रॉपिक ने एंटरप्राइज़-ग्रेड एआई उपकरण लॉन्च किए हैं जो अनुबंध समीक्षा, कानूनी कार्यप्रवाह स्वचालन, अनुपालन निगरानी, कोडिंग और परीक्षण सहायता तथा ग्राहक सेवा स्वचालन में सक्षम हैं।
- ये उपकरण भारतीय आईटी कंपनियों की पारंपरिक सेवाओं—विशेषकर डेटा प्रोसेसिंग, सपोर्ट सेवाएँ और बैक-ऑफ़िस संचालन—को चुनौती देते हैं।

भारतीय आईटी क्षेत्र क्यों संवेदनशील है?

- **मानव-शक्ति आधारित मॉडल:** भारतीय आईटी सेवाएँ ऐतिहासिक रूप से बड़े कार्यबल पर आधारित रही हैं, जहाँ ग्राहकों से समय और श्रम के आधार पर शुल्क लिया जाता है। अब एआई दोहराए जाने वाले, कम-कौशल वाले कोडिंग और सपोर्ट कार्यों की आवश्यकता घटा रहा है।
- **निम्न-स्तरीय सेवाओं पर निर्भरता:** राजस्व का बड़ा हिस्सा लेगेसी सिस्टम के रखरखाव, परीक्षण और गुणवत्ता आश्वासन तथा बुनियादी डेटा प्रबंधन सेवाओं से आता है। ये वही कार्य हैं जिन्हें एआई कुशलतापूर्वक स्वचालित कर सकता है।
- **लाभांश दबाव:** यदि ग्राहक सीधे एआई उपकरण अपनाते हैं, तो आईटी कंपनियों को अनुबंध आकार में कमी, विशिष्ट एआई कंपनियों से प्रतिस्पर्धा और इनपुट-आधारित बिलिंग से परिणाम-आधारित मूल्य निर्धारण की ओर दबाव का सामना करना पड़ सकता है।

भारतीय आईटी क्षेत्र में एआई व्यवधान के निहितार्थ

- **रोज़गार और श्रम बाज़ार:** आईटी क्षेत्र श्वेत-कालर रोजगार का प्रमुख स्रोत है, विशेषकर टियर-II और टियर-III शहरों के इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए।
  - स्वचालन भर्ती को धीमा कर सकता है और शहरी उपभोग को प्रभावित कर सकता है।
- **भुगतान संतुलन:** आईटी सेवाएँ भारत के सेवाओं के निर्यात में प्रमुख योगदान देती हैं और माल व्यापार घाटे की भरपाई में सहायता करती हैं।
  - स्वचालन-जनित मांग में कमी चालू खाते की स्थिरता को प्रभावित कर सकती है।
- **राजकोषीय निहितार्थ:** यह क्षेत्र कॉर्पोरेट और आयकर राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान देता है। मंदी
  - राजकोषीय लचीलापन को प्रभावित कर सकती है, विशेषकर आईटी-प्रधान राज्यों में।
- **शहरीकरण और क्षेत्रीय विकास:** बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और गुरुग्राम जैसे शहर आईटी-प्रेरित विकास केंद्र के रूप में विकसित हुए हैं।
  - क्षेत्र में ठहराव शहरी रोजगार पारिस्थितिकी, स्टार्ट-अप संस्कृति और रियल एस्टेट, परिवहन तथा आतिथ्य जैसी सहायक उद्योगों को प्रभावित कर सकता है।

व्यवधान में अवसर

- **क्षेत्रीय विशेषज्ञता लाभ:** भारतीय आईटी कंपनियों के पास बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं, स्वास्थ्य सेवा, दूरसंचार और खुदरा में गहन विशेषज्ञता है।
  - एआई को क्षेत्रीय ज्ञान के साथ एकीकृत कर उच्च-मूल्य समाधान बनाए जा सकते हैं।
- **एआई शासन में भूमिका:** भारत स्वयं को एक जिम्मेदार एआई केंद्र के रूप में स्थापित कर सकता है, जो G20 और OECD जैसे मंचों में चर्चा किए गए वैश्विक मानकों के अनुरूप हो।
- **भारत के विकास मॉडल में बदलाव:** 1990 के दशक के सुधारों के बाद से भारत की वृद्धि सेवाओं-आधारित रही है, जबकि पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाएँ विनिर्माण-आधारित निर्यात मॉडल पर चलीं। अब भारत को पुनर्संतुलन की आवश्यकता है:
  - उन्नत विनिर्माण (इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर)।
  - डीप-टेक नवाचार।
  - डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्यात।

निष्कर्ष

- भारतीय आईटी क्षेत्र में एआई-जनित व्यवधान केवल क्षेत्रीय चुनौती नहीं है, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक संरचनात्मक मोड़ है।
- यह रोजगार पैटर्न, राजकोषीय गतिशीलता, निर्यात प्रतिस्पर्धा और भारत की दीर्घकालिक विकास रणनीति को पुनः आकार दे सकता है।
- इसलिए प्रतिक्रिया बहुआयामी होनी चाहिए—पुनः कौशल विकास, नवाचार पारिस्थितिकी, नियामक

तैयारी और रणनीतिक तकनीकी आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए—ताकि एआई विकास का विघ्नकारी नहीं बल्कि गुणक बन सके।

स्रोत: IE

भारत में SHANTI अधिनियम और परमाणु दायित्व पर परिचर्चा

संदर्भ

- **SHANTI (भारत के लिए परमाणु प्रौद्योगिकी की प्रगति का सतत् एवं उत्तरदायी दोहन) अधिनियम, 2025** ने सुरक्षा मानकों, पीड़ितों के मुआवज़े और दीर्घकालिक ऊर्जा रणनीति को लेकर चिंताएँ उत्पन्न की हैं।

परिचय

- परंपरागत रूप से भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र केवल राज्य-स्वामित्व वाली **न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL)** और इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी **भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम (BHAVINI)** द्वारा संचालित किए जाते रहे हैं।
- SHANTI अधिनियम परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी संस्थाओं के लिए खोलता है और **सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज अधिनियम (CLNDA), 2010** के अंतर्गत दायित्व ढाँचे में बदलाव करता है।

SHANTI अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

- **परमाणु दायित्व व्यवस्था का पुनर्गठन:** अधिनियम आपूर्तिकर्ताओं को क्षतिपूर्ति प्रदान करता है और किसी भी दुर्घटना की जिम्मेदारी संचालक पर डालता है। यह "प्रतिगमन का अधिकार" (Right of Recourse) को हटा देता है, जिसके अंतर्गत संचालक दोषपूर्ण उपकरण से हुई दुर्घटना के लिए आपूर्तिकर्ताओं पर मुकदमा कर सकते थे।
  - अधिनियम CLNDA की धारा 46 को भी हटाता है, जो पीड़ितों को अन्य कानूनों, जिनमें आपराधिक कानून भी शामिल हैं, के अंतर्गत उपाय खोजने की अनुमति देती थी।
- अधिनियम **एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड** के लिए विधायी ढाँचा प्रदान करता है, लेकिन इसकी स्वतंत्रता को सीमित करता है क्योंकि इसके सदस्यों का चयन **एटॉमिक एनर्जी कमीशन** द्वारा गठित समिति करेगी।
- **कुछ गतिविधियों के लिए छूट:** अनुसंधान, विकास और नवाचार-संबंधी कार्यों जैसी सीमित गतिविधियों के लिए लाइसेंस से छूट प्रदान करता है।
- **गैर-ऊर्जा अनुप्रयोगों का विनियमन:** स्वास्थ्य सेवा, कृषि, उद्योग, अनुसंधान और अन्य शांतिपूर्ण अनुप्रयोगों में परमाणु एवं विकिरण प्रौद्योगिकियों के उपयोग हेतु नियामक ढाँचा प्रदान करता है।

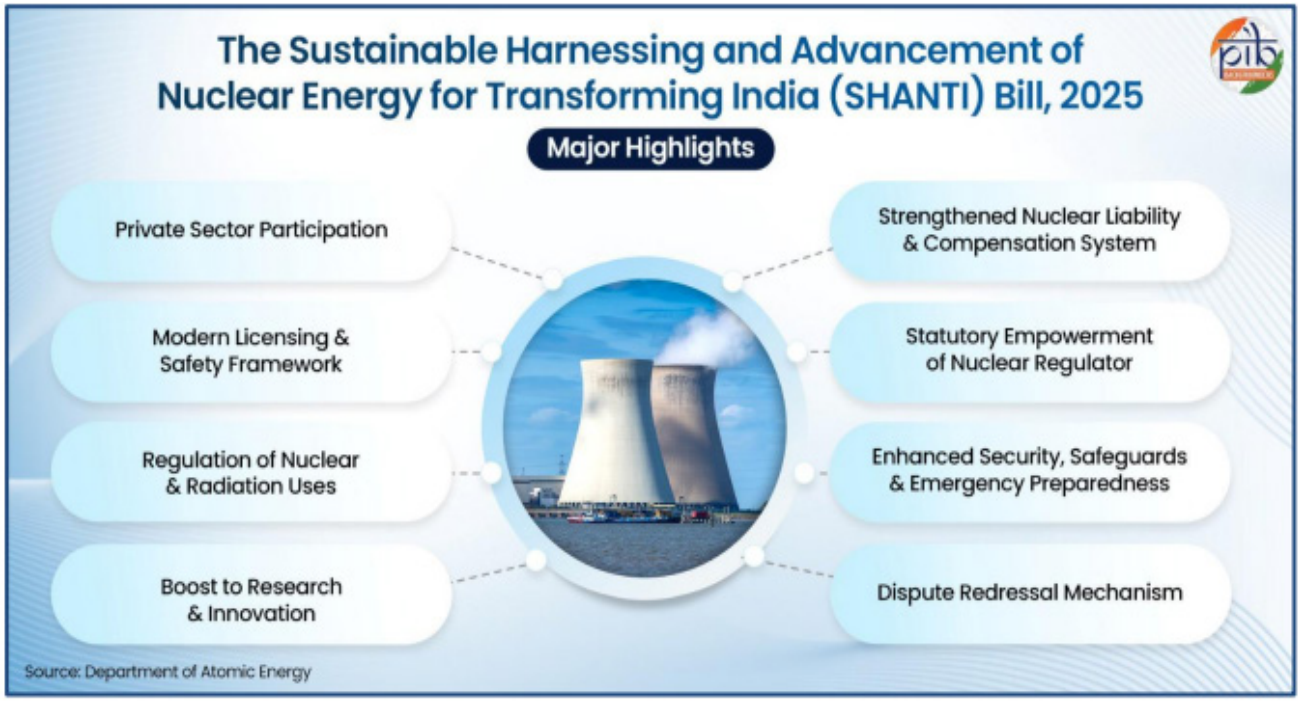

SHANTI अधिनियम पर उठी चिंताएँ

- आपूर्तिकर्ताओं को क्षतिपूर्ति प्रदान करना अधिनियम का सबसे विवादास्पद पहलू है।
  - **फुकुशिमा दाइची परमाणु दुर्घटना** ने रिएक्टर कंटेनमेंट डिज़ाइन और आपातकालीन तैयारी की कमजोरियों को उजागर किया।
  - **चेरनोबिल दुर्घटना** में संरचनात्मक डिज़ाइन की खामियाँ थीं, जिनमें सकारात्मक पावर गुणांक और अपर्याप्त आपातकालीन शटडाउन प्रणाली शामिल थीं।
  - **थ्री माइल आइलैंड दुर्घटना** ने नियंत्रण कक्ष डिज़ाइन की गंभीर विफलताओं और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा संचार की कमी को उजागर किया।
- **नैतिक जोखिम का मुद्दा:** एजेंटों को उनके कार्यों के परिणामों से बचाना "मोरल हैज़र्ड" उत्पन्न करता है और उन्हें अधिक जोखिम उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है।
  - अधिनियम "गंभीर प्राकृतिक आपदा" से हुई दुर्घटनाओं के लिए संचालकों को क्षतिपूर्ति प्रदान करता है, जिससे भारत के "पूर्ण दायित्व" ढाँचे को उलट दिया जाता है। यह उद्योग की लचीले संयंत्र स्थापित करने की प्रेरणा को कम करता है।

आगे की राह

- स्थल चयन, पर्यावरणीय स्वीकृति एवं सुरक्षा ऑडिट में पारदर्शिता और जन परामर्श को बढ़ावा देना, ताकि समुदाय का विश्वास बने तथा परियोजना में देरी कम हो।
- जलवायु-लचीला परमाणु अवसंरचना का निर्माण करना, जिसमें अत्यधिक प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध उच्च सुरक्षा मानकों को अनिवार्य किया जाए—विशेषकर फुकुशिमा दाइची परमाणु दुर्घटना से मिले सीख के आलोक में।
- पर्याप्त संप्रभु समर्थन के साथ एक सुदृढ़ परमाणु बीमा कोष स्थापित करना, ताकि दुर्घटनाओं की स्थिति में शीघ्र और न्यायसंगत मुआवज़ा सुनिश्चित किया जा सके।

स्रोत: TH

संक्षिप्त समाचार

महार्षि दयानंद सरस्वती

संदर्भ

- प्रधानमंत्री ने महार्षि दयानंद सरस्वती को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

महार्षि दयानंद सरस्वती के बारे में

- इनका जन्म 12 फरवरी, 1824 को गुजरात के टंकारा में 'मूल शंकर' नाम से एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। बाद में वे स्वामी विरजानंद के शिष्य बने।
- उन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य सामाजिक असमानताओं का विरोध और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देना था।
- उन्होंने "वेदों की ओर लौटो" का नारा दिया और दो मुख्य विचारों पर बल दिया: वेदों की अचूक प्रामाणिकता और एकेश्वरवाद।
- उनके प्रमुख विश्वासों में मूर्तिपूजा और अत्यधिक कर्मकांड का विरोध, महिलाओं की शिक्षा का समर्थन, बाल विवाह की निंदा एवं अस्पृश्यता का विरोध शामिल था।
- उन्होंने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया, जिसके अंतर्गत हिंदू धर्म में पुनः दीक्षा का विचार रखा।
- **प्रकाशन:** सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि, और यजुर्वेद भाष्यम।
- **विरासत:** उनकी शिक्षाओं और विचारों से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने 1883 में उनके निधन के बाद दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसाइटी की स्थापना की।
  - प्रथम DAV हाई स्कूल 1 जून, 1886 को लाहौर में महात्मा हंसराज को प्रधानाचार्य बनाकर स्थापित किया गया।

क्या आप जानते हैं?

- अमेरिकी अध्यात्मवादी एंड्रयू जैक्सन डेविस ने महार्षि दयानंद को "सन ऑफ़ गॉड" कहा था।
- उन्हें 1875 में प्रथम बार "स्वराज" शब्द का प्रयोग करने का श्रेय दिया जाता है, जिसे बाद में बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने अपनाया।

स्रोत: PIB

असम राइफल्स: आत्मनिर्भर पहल के अंतर्गत स्वदेशी कुत्तों की नस्लों का समावेश

संदर्भ

- असम राइफल्स अपनी विशेष कुत्ता टुकड़ी में दो स्वदेशी भारतीय नस्लों—तांगखुल हुई (हाओफा) और कोंबई—को शामिल कर रही है।
- यह समावेश असम के जोरहाट स्थित असम राइफल्स डॉग ट्रेनिंग सेंटर (ARDTC) द्वारा प्रबंधित किया जा रहा है।

भारतीय कुत्तों की नस्लों के बारे में

- **तांगखुल हुई:**
  - यह मणिपुर के उखरूल ज़िले की स्वदेशी नस्ल है।
  - अत्यधिक साहसी, विशिष्ट ट्रैकिंग क्षमता और 48 घंटे तक बिना भोजन या जल के जानवरों का पीछा करने की सहनशक्ति के लिए प्रसिद्ध है।
  - रोग प्रतिरोधक क्षमता और पहाड़ी क्षेत्रों में अनुकूलनशीलता के लिए भी जानी जाती है।
  - स्थिति: 2022 में छह कुत्तों के साथ पायलट परियोजना के रूप में पहले ही शामिल किया जा चुका है।
- **कोंबई:**
  - यह तमिलनाडु की स्वदेशी नस्ल है।
  - फुर्ती, पहरेदारी प्रवृत्ति और निष्ठा के लिए प्रसिद्ध है।

असम राइफल्स

- असम राइफल्स की स्थापना 1835 में 'कछार लेवी' नामक मिलिशिया के रूप में हुई।
  - प्रथम विश्व युद्ध में विशिष्ट सेवा के बाद इसे आधिकारिक रूप से "असम राइफल्स" नाम दिया गया।
- **विश्व युद्धों में भागीदारी:** यह एकमात्र अर्धसैनिक बल है जिसने दोनों विश्व युद्धों और 1962 के भारत-चीन युद्ध में भाग लिया।
- इसका मुख्यालय शिलांग, मेघालय में है और वर्तमान में इसमें 46 बटालियन हैं।
- यह सात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) में से एक है, जो मुख्यतः भारत-म्यांमार सीमा की सुरक्षा, उग्रवाद-रोधी अभियानों और पूर्वोत्तर भारत में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने पर केंद्रित है।
- **द्वैध नियंत्रण संरचना:**
  - प्रशासनिक नियंत्रण (गृह मंत्रालय): वेतन, भर्ती, अवसंरचना और सेवानिवृत्ति नीतियों का प्रबंधन।
  - संचालनात्मक नियंत्रण (रक्षा मंत्रालय/भारतीय सेना): तैनाती, स्थानांतरण और अभियानों के दौरान रणनीतिक दिशा तय करना।

स्रोत: TH

संसद की कार्यवाहियाँ

समाचार में

- हाल ही में एक सांसद ने विपक्ष के नेता के विरुद्ध "सार्थक प्रस्ताव " लाने का नोटिस दिया है।

परिचय

- संसद सदस्य (MP) द्वारा परिचर्चा शुरू करने या सदन का निर्णय प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत औपचारिक प्रस्ताव।
- किसी भी सामान्य जनमहत्व के विषय पर चर्चा केवल अध्यक्ष की अनुमति से प्रस्तुत प्रस्ताव पर ही हो सकती है।
- संसदीय प्रस्ताव तीन श्रेणियों में वर्गीकृत हैं: सार्थक (Substantive), प्रतिस्थापन (Substitute), और सहायक (Subsidiary)।

प्रस्तावों का वर्गीकरण

- **सार्थक प्रस्ताव :** स्वतंत्र और महत्वपूर्ण विषय से संबंधित प्रस्ताव। उदाहरण: राष्ट्रपति का महाभियोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना।
- **प्रतिस्थापन प्रस्ताव :** मूल प्रस्ताव के स्थान पर प्रस्तुत किया जाता है। यदि सदन इसे स्वीकार कर लेता है, तो यह मूल प्रस्ताव को निरस्त कर देता है।
- **सहायक प्रस्ताव :** स्वतंत्र अर्थ नहीं रखते, बल्कि मूल प्रस्ताव से संबंधित होते हैं।
- **सहायक :** सामान्य कार्यवाही का तरीका (जैसे "कि विधेयक पारित किया जाए")।
- **निरस्तकारी :** परिचर्चा के दौरान वर्तमान प्रश्न को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत।

प्रस्ताव का प्रकार	उद्देश्य एवं प्रभाव	मुख्य विशेषताएँ
समापन प्रस्ताव	परिचर्चा को संक्षिप्त करना	पारित होने पर परिचर्चा समाप्त होती है और विषय पर मतदान होता है। इसमें "गिलोटिन" भी शामिल है (अविचारित धाराओं पर मतदान)।
विशेषाधिकार प्रस्ताव	जब किसी मंत्री द्वारा विशेषाधिकार का उल्लंघन माना जाए	तथ्य छिपाने या गलत जानकारी देने पर मंत्री को निंदा करने हेतु
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	किसी मंत्री का ध्यान तात्कालिक विषय पर आकर्षित करना	भारतीय नवाचार (1954 से); मंत्री संक्षिप्त वक्तव्य देते हैं
स्थगन प्रस्ताव	अत्यावश्यक जनमहत्व के निश्चित विषय पर चर्चा	सदन की सामान्य कार्यवाही बाधित होती है; 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक; राज्यसभा में अनुमति नहीं
धन्यवाद प्रस्ताव	राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद चर्चा	दोनों सदनों में पारित होना आवश्यक; लोकसभा में असफलता सरकार की पराजय मानी जाती है

स्रोत: TH

क्यासानूर वन रोग

समाचार में

- भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) क्यासानूर वन रोग (KFD) के विरुद्ध एक उन्नत टीके के विकास की दिशा में निरंतर प्रगति कर रही है।

क्यासानूर वन रोग (KFD)

- क्यासानूर वन रोग (KFD) क्यासानूर वन रोग विषाणु (KFDV) से होता है, जो फ्लेविविरिडे परिवार का सदस्य है।
- इसे 1957 में पहचाना गया था, जब इसे कर्नाटक के क्यासानूर वन में बीमार बंदर से अलग किया गया।
- कठोर किलनी (हार्ड टिक्स – हेमाफिसेलिस स्पिनिगेरा) इस विषाणु को मनुष्यों और बंदरों व कृन्तकों जैसे जानवरों में फैलाते हैं।
- यह पश्चिमी घाट क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संक्रामक रोग है, विशेषकर कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, गोवा और महाराष्ट्र में।
- संक्रमण के 3–8 दिन पश्चात KFD के लक्षण प्रकट होते हैं, जिनमें बुखार, ठंड लगना, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और रक्तस्राव शामिल हो सकते हैं।
- **उच्च जोखिम वाले लोग:** शिकारी, पशुपालक, वनकर्मी और किसान, विशेषकर शुष्क मौसम (नवंबर–जून) में।
  - KFD प्रभावित क्षेत्रों में यात्रा करने वाले लोग भी जोखिम में होते हैं।

स्रोत: PIB

औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026

संदर्भ

- लोकसभा में औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026 प्रस्तुत किया गया।

परिचय

- यह विधेयक औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 में संशोधन करने का प्रयास करता है।
- संहिता में ट्रेड यूनियनों की मान्यता, हड़ताल और तालाबंदी के लिए नोटिस अवधि, तथा औद्योगिक विवादों के समाधान जैसे विषय शामिल हैं।
- **अधिनियमों का निरसन: 2020 की संहिता ने तीन अधिनियमों को प्रतिस्थापित किया:**
  - ट्रेड यूनियन्स अधिनियम, 1926
  - औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946
  - औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
  - संशोधन विधेयक स्पष्ट करता है कि ये तीन अधिनियम 21 नवंबर, 2025 से निरस्त माने जाएंगे।

स्रोत: TH

आर्कटिक में ब्लैक कार्बन का जलवायु खतरा

संदर्भ

- ग्रीनलैंड के सामरिक महत्व को लेकर भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ने आर्कटिक क्षेत्र में ब्लैक कार्बन उत्सर्जन के खतरे को पीछे धकेल दिया है, जिससे रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच पर्यावरणीय विनियमन को प्राथमिकता नहीं मिल रही है।

ब्लैक कार्बन क्या है?

- ब्लैक कार्बन सूक्ष्म कण पदार्थ (PM2.5) का प्रमुख घटक है और एक शक्तिशाली अल्प-जीवी जलवायु प्रदूषक है।
- यह जीवाश्म ईंधन (विशेषकर डीज़ल और समुद्री भारी ईंधन तेल), जैव ईंधन और बायोमास के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होता है।
- इसका ऊष्मीय प्रभाव 20-वर्षीय अवधि में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में लगभग 1,600 गुना अधिक होता है।
    - CO_2 के विपरीत, यह वातावरण में लंबे समय तक नहीं रहता (सामान्यतः 4–12 दिन), लेकिन इसका तात्कालिक प्रभाव तीव्र होता है, विशेषकर ध्रुवीय क्षेत्रों में।

आर्कटिक में इसका महत्व क्यों है?

- जब कालिख बर्फ और हिम पर जमती है, तो यह अल्बीडो (प्रतिफलन क्षमता) को कम कर देती है, जिससे सौर विकिरण का अधिक अवशोषण होता है।
- इससे हिमनदों का पिघलना और समुद्री बर्फ का पीछे हटना तेज़ हो जाता है, जो आर्कटिक प्रवर्धन को बढ़ावा देता है।
    - आर्कटिक प्रवर्धन वह घटना है जिसमें आर्कटिक क्षेत्र वैश्विक औसत की तुलना में 2–4 गुना तीव्रता से गर्म होता है।
- आर्कटिक हिम के पिघलने से वैश्विक मौसम पैटर्न बाधित होते हैं, जिनमें जेट स्ट्रीम और मानसून प्रणाली शामिल हैं।

आर्कटिक क्षेत्र का सामरिक महत्व

- आर्कटिक का भू-राजनीतिक महत्व बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ:
    - नए नौवहन मार्ग उभर रहे हैं।
    - ऊर्जा और खनिज संसाधन उपलब्ध हैं।
    - सैन्य और सामरिक स्थिति का महत्व बढ़ रहा है।

स्रोत: THE WEEK

राजाजी राष्ट्रीय उद्यान

समाचार में

- सर्वोच्च न्यायालय ने राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाली 11.5 किलोमीटर लंबी लालढांग-चिल्लरखाल सड़क परियोजना के पक्कीकरण को स्वीकृति प्रदान।

राजाजी राष्ट्रीय उद्यान

- इसकी स्थापना 1983 में राजाजी, मोतीचूर और चिल्ला अभयारण्यों को मिलाकर की गई।
- इसका नाम स्वतंत्रता सेनानी और भारत के पहले गवर्नर-जनरल सी. राजगोपालाचारी (राजाजी) के सम्मान में रखा गया।
- यह हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून के निकट हिमालय की तराई में स्थित है।
- यहाँ विविध वनस्पति और समृद्ध जैव विविधता पाई जाती है, जिसमें गंगा एवं सोंग नदियाँ प्रवाहित होती हैं।
- यह हाथी, बाघ, तेंदुआ, हिरण, घोरल और अनेक पक्षी प्रजातियों का आवास है, जो इसे प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग बनाता है।

स्रोत: TH

विश्व रेडियो दिवस

संदर्भ

- विश्व रेडियो दिवस प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है, ताकि 1946 में संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना का स्मरण किया जा सके।

परिचय

- इस वर्ष का विषय है: "रेडियो और कृत्रिम बुद्धिमत्ता: एआई एक उपकरण है, आवाज़ नहीं।"
    - इसका उद्देश्य यह दर्शाना है कि एआई सामग्री

निर्माण को बेहतर बना सकता है, जिससे रेडियो अधिक प्रभावी और समावेशी हो सके।

- साथ ही, यह विषय इस बात पर बल देता है कि तकनीक केवल सहायक प्रणाली होनी चाहिए, मानव आवाज़ का विकल्प नहीं।

- विश्व रेडियो दिवस को 2011 में यूनेस्को (UNESCO) द्वारा घोषित किया गया और 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया।
- यह दिवस प्रत्येक वर्ष प्रसारकों के समर्थन को बढ़ावा देने और इस तकनीक के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है।

ऑल इंडिया रेडियो (AIR)

- ऑल इंडिया रेडियो (AIR), जिसे लोकप्रिय रूप से आकाशवाणी कहा जाता है, भारत के राष्ट्रीय प्रसारक प्रसार भारती का रेडियो विभाग है।
- **उद्देश्य:** "बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय" (जनसाधारण के हित और सुख के लिए)।
- **स्थापना:** 1936 में हुई और स्वतंत्रता के पश्चात इसे सार्वजनिक स्वामित्व में लाया गया।
- आज AIR विश्व के सबसे बड़े प्रसारण संगठनों में से एक बन चुका है।

स्रोत: AIR

■■■■